भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3971

जिसका उत्तर 12 अगस्त, 2026 को दिया जाना है।

21 श्रावण, 1948 (शक)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर फर्जी सामग्री

3971. डॉ. आनन्द कुमार गोंडः

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर फर्जी, भ्रामक तथा हेर-फेर की गई सामग्री तेजी से तैयार और प्रसारित की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त सामग्री बनाने और जानबूझकर इसका प्रसार करने वालों के विरुद्ध मौजूदा विधिक प्रावधानों की प्रभावशीलता की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का केवल उक्त सामग्री को हटाने तक सीमित रहने के बजाय उक्त मामलों में दोषियों की पहचान सुनिश्चित करने और उनके विरुद्ध दंडात्मक एवं आपराधिक कार्रवाई करने हेतु कोई नया तंत्र या विधिक प्रावधान लाने का प्रस्ताव है; और

(घ) सरकार द्वारा फर्जी सामग्री के सृजन तथा प्रसार पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और उनका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने प्रयोक्ताओं के लिए एक खुला, सुरक्षित और विश्वसनीय तथा जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम") और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम") सहित मौजूदा कानूनी ढांचे ने मिलकर डिजिटल स्पेस में नकली, भ्रामक और हेरफेर की गई सामग्री से निपटने के लिए एक रूपरेखा तैयार की है और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मध्यवर्तियों पर स्पष्ट दायित्व लागू किए हैं।

<u>सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम")</u>

- विशिष्ट सूचना/लिंक तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए मध्यवर्तियों को अवरोधक आदेश जारी करने का प्रावधान (धारा 69क)।
- गैरकानूनी कार्य करने के लिए उपयोग की जा रही जानकारी को हटाने या अक्षम करने के लिए मध्यवर्तियों को नोटिस जारी करने का प्रावधान (धारा 79)।
- इसके अलावा, अधिनियम पुलिस को अपराधों (धारा 78 और 80) की जांच करने का अधिकार भी देता है।

<u>भारतीय न्याय संहिता, 2023 ("बीएनएस")</u>

- धारा 319 में प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी के लिए सजा का प्रावधान है।
- धारा 336 जालसाजी के लिए सजा निर्धारित करती है (इसमें किसी भी पक्ष की प्रतिष्ठा को धोखा देने या नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाना शामिल है)।
- धारा 353 का उद्देश्य झूठे या भ्रामक बयान, अफवाहें या रिपोर्ट बनाने के कार्य को दंडित करके गलत सूचना और दुष्प्रचार के प्रसार को रोकना है जो सार्वजनिक शरारत या भय पैदा कर सकते हैं।

- डीपफेक कंटेंट से जुड़े संगठित साइबर अपराधों पर भी धारा 111 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है।

<u>सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम")</u>

आईटी नियम मध्यवर्तियों पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय अपेक्षित सावधानी बरतने के लिए विशिष्ट दायित्व डालते हैं और कंप्यूटर संसाधनों के उपयोगकर्ताओं को सूचित करेंगे कि वे ऐसी किसी भी जानकारी को होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, संचारित, अपडेट या साझा न करें जो डीप-फेक के माध्यम से गुमराह करती है या धोखा देती है, एआई सहित अन्य का प्रतिरूपण करती है, राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डालती है या किसी भी लागू कानून का उल्लंघन करती है।

मध्यवर्तियों को सेवा की शर्तों और उपयोगकर्ता समझौतों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को गैरकानूनी सामग्री साझा करने के परिणामों के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित करना चाहिए, जिसमें सामग्री हटाने, खाता निलंबन या समाप्ति शामिल है।

भारत में 50 लाख या उससे अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता आधार (एसएसएमआई) वाले सोशल मीडिया मध्यवर्तियों को निम्नलिखित अतिरिक्त दायित्वों का पालन करना आवश्यक है:

- संदेश सेवाएँ प्रदान करने वाले एसएसएमआई को कानून प्रवर्तन एजेंसियों को गंभीर या संवेदनशील सामग्री के मूल रचनाकारों का पता लगाने में मदद करनी चाहिए।
- गैरकानूनी सामग्री के प्रसार का पता लगाने और उसे सीमित करने के लिए स्वचालित उपकरणों का उपयोग करना।
- अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करना, स्थानीय अधिकारियों को नियुक्त करना और अनुपालन तथा कानून प्रवर्तन समन्वय के लिए भारत में आधारित भौतिक पते साझा करना।
- स्वत: कार्रवाई करने से पहले स्वैच्छिक उपयोगकर्ता सत्यापन, आंतरिक अपील और निष्पक्ष सुनवाई की पेशकश करना ।

<u>शिकायत निवारण तंत्र:</u>

मध्यवर्तियों को शिकायत अधिकारियों की नियुक्ति करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों का समाधान करने की आवश्यकता होती है। यदि मध्यवर्तियों के शिकायत अधिकारियों द्वारा उपयोगकर्ता की शिकायतों का समाधान नहीं किया जाता है, तो वे https://www.gac.gov.in पर ऑनलाइन अपील कर सकते हैं। जीएसी सामग्री मॉडरेशन निर्णयों की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं।

<u>हाल के संशोधन:</u>

10 फरवरी, 2026 को, सरकार ने डीपफेक और एआई-जनित सामग्री सहित कृत्रिम रूप से उत्पन्न जानकारी (एसजीआई) से उत्पन्न होने वाले नुकसान को दूर करने के लिए आईटी नियमों में संशोधन करके नियामक ढांचे को मजबूत किया।

संशोधन से संबंधित मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: -

- मध्यवर्तियों को अनुमेय एआई-जनित सामग्री के लिए स्पष्ट लेबलिंग और पता लगाने योग्य मेटाडेटा सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है, ताकि उपयोगकर्ता आसानी से कृत्रिम रूप से उत्पन्न सामग्री की पहचान कर सकें और धोखे या दुरुपयोग को रोक सकें।
- यह उपयोगकर्ता की जवाबदेही और प्लेटफॉर्म की सम्यक सावधानी को और मजबूत करता है, जिसमें गैरकानूनी एआई-जनित सामग्री के कानूनी परिणामों के बारे में अनिवार्य उपयोगकर्ता जागरूकता और सोशल मीडिया मध्यवर्तियों के लिए मजबूत अनुपालन दायित्व शामिल हैं।

- महत्वपूर्ण रूप से, दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से बाल यौन शोषण सामग्री, गैर-सहमति वाली अंतरंग इमेजरी, प्रतिरूपण और अन्य हानिकारक एआई-जनित सामग्री को कवर करते हैं, जिससे प्लेटफार्मों को ऐसी सामग्री को रोकने और पता चलने पर त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता होती है।

- अनुपालन के लिए समय-सीमा को मजबूत करना, जिसमें शामिल हैं: उचित सरकारी या अदालती आदेशों से मिली सही और ठोस सूचना के आधार पर गैर-कानूनी जानकारी को हटाने की समय-सीमा कम करना (समय-सीमा 36 घंटे से घटाकर 3 घंटे की गई) और शिकायतों के समाधान की समय-सीमा कम करना (इसमें नग्नता/किसी और का रूप धरने जैसी खास श्रेणियां शामिल हैं) (समय-सीमा 72 घंटे से घटाकर 36 घंटे और संवेदनशील मामलों के लिए 24 घंटे से घटाकर 2 घंटे की गई)।
- मध्यवर्ती स्वचालित उपकरण या अन्य उपयुक्त तंत्र सहित उचित और उचित तकनीकी उपायों को लागू करने के लिए बाध्य हैं, ताकि किसी भी उपयोगकर्ता को किसी भी कृत्रिम रूप से उत्पन्न जानकारी बनाने, उत्पन्न करने, संशोधित करने, बदलने, प्रकाशित, संचारित, साझा करने या प्रसारित करने की अनुमति न दी जा सके, जैसा भी मामला हो, किसी भी कृत्रिम रूप से उत्पन्न जानकारी जो उस समय लागू किसी भी कानून का उल्लंघन करती है।

आईटी नियमों में प्रदान किए गए कानूनी दायित्वों का पालन करने में मध्यवर्तियों की विफलता के मामले में, वे आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत प्रदान की गई तीसरे पक्ष की जानकारी से अपनी छूट खो देते हैं। वे किसी भी मौजूदा कानून के तहत प्रदान की गई परिणामी कार्रवाई या अभियोजन के लिए उत्तरदायी हैं।

परामर्शी निदेश और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी):

सरकार ने सोशल मीडिया मध्यवर्तियों सहित मध्यवर्तियों को आईटी अधिनियम और आईटी नियमों के तहत अपेक्षित सावधानी संबंधी दायित्वों के पालन पर जोर देते हुए कई परामर्शी निदेश जारी किए हैं। जारी किए गए परामर्शी निदेश और तैयार एसओपी का विवरण इस प्रकार है:

- अपमानजनक, मानहानिकारक, आपत्तिजनक, अपमानजनक और भ्रामक रूप से उत्पन्न जानकारी के निर्माण, होस्टिंग, प्रकाशन, प्रसारण, साझा करने या अपलोड करने के संबंध में मध्यवर्तियों को 16.03.2026 को एक परामर्श जारी किया गया था।
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गैर-सहमति वाली अंतरंग इमेजरी (एनसीआईआई) सामग्री के प्रसार को कम करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया ("एसओपी") तैयार की गई है और 11.11.2025 को जारी की गई है। एसओपी पीड़ितों, मध्यवर्तियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करता है ताकि सहमति के बिना साझा की गई अंतरंग या मॉर्फ्ड छवियों सहित एनसीआईआई सामग्री के ऑनलाइन प्रसार के खिलाफ त्वरित और समान कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट

पत्र सूचना कार्यालय ("पीआईबी") भारत सरकार से संबंधित फर्जी खबरों से निपटने के लिए सक्रिय कदम उठाने में सबसे आगे रहा है। नवंबर 2019 में, पीआईबी ने भारत सरकार, इसके विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और केंद्र सरकार के अन्य संगठनों से संबंधित फर्जी खबरों के मुद्दे से निपटने के उद्देश्य से एक फैक्ट चेक यूनिट की स्थापना की।

यह इकाई सरकारी नीतियों, विनियमों, घोषणाओं और उपायों के बारे में दावों की पुष्टि करती है। एक स्थापित कठोर तथ्य-जांच प्रक्रिया के माध्यम से, पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट मिथकों, अफवाहों और झूठे दावों को दूर करने में मदद करती है और जनता को सटीक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करती है।

'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था'

पुलिस में दर्ज शिकायतों की जांच संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) द्वारा संगत सांविधिक ढांचे के तहत की जाती है। चूंकि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं, इसलिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से साइबर अपराध सहित अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं।
